<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/46/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23.02.2026

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>

मामला सं.-एडी (ओआई)–43/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" (एमआईपीए) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/46/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. **मैसर्स अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड** (जिसे इसके बाद इसे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से **'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' (एमआईपीए)** (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित जांच की शुरुआत की अधिसूचना फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30 दिसंबर, 2024 द्वारा जारी की।

क. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

   I. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

II. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 दिसंबर 2024 की अधिसूचना सं. 6/46/2024-डीजीटीआर जारी की।

III. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 महीने) है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जांच की अवधि है।

IV. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानामें के आयात का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी-सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े पर विश्वास किया गया है।

V. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी।

VI. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) की एक प्रति उपलब्ध कराई।

VII. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी।

VIII. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

IX. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

1 मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
2 मैसर्स ताइझोऊ जियान्ये केमिकल कंपनी लिमिटेड
3 मैसर्स झेजियांग शिन्हुआ केमिकल कंपनी लिमिटेड

X. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड ने जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में खुद को पंजीकृत किया।

XI. इसके बाद, मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपना पंजीकरण वापस ले लिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। तदनुसार, उन्हें वर्तमान जांच में असहयोगी माना जाता है।

XII. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को नियावली के नियम6(4) और (5) के अनुसार आवश्यक सूचना के लिए आयातकों और प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली भेजी।

1 मैसर्स एग्रो लाइफ साइंस कॉर्पोरेशन
2 मैसर्स एग्रो एलाइड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

3 मैसर्स अमरी इंडिया प्रा. लि.
4 मैसर्स अतुल लिमिटेड
5 मैसर्स चेमो इंडिया
6 मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लि.
7 मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लि.
8 मैसर्स सीटीएक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लि.
9 मैसर्स एक्सेल क्रॉप केयर लि.
10 मैसर्स फ्लेमिंग लैबोरेटरीज लि.
11 मैसर्स हेरनबा इंडस्ट्रीज लि.
12 मैसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13 मैसर्स इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लि.
14 मैसर्स आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड
15 मैसर्स जय श्री रसायन उद्योग लि.
16 मैसर्स के रसिकलाल एक्विजम प्रा. लि.
17 मैसर्स केतन केमिकल कॉर्पोरेशन
18 मैसर्स कोप्रान रिसर्च लैबोरेटरीज
19 मैसर्स कृष्णा सॉल्वकेम लि.
20 मैसर्स लक्ष्मी सरस केम टेक प्रा. लि.
21 मैसर्स लियो केमप्लास्ट प्रा. लि.
22 मैसर्स मल्लादी ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
23 मैसर्स मेडी फार्मा ड्रग हाउस
24 मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि.
25 मैसर्स न्यूट्रॉन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
26 मैसर्स ओसी स्पेशलिटीज प्रा. लि.
27 मैसर्स ओरियन केम प्रा. लि.
28 मैसर्स पॉलीड्रग लैबोरेटरीज प्रा. लि.
29 मैसर्स रत्नाचंद एंड कंपनी
30 मैसर्स सांग्रोस लैबोरेटरीज प्रा. लि.
31 मैसर्स टीएएससी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
32 मैसर्स वेदांत लाइफ साइंसेज प्रा. लि.
33 मैसर्स वीनस इंटरनेशनल

xiii. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, केवल मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में खुद को पंजीकृत किया।

xiv. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) की एक प्रति ज्ञात एसोसिएशनों को भेजी गई थी।

xv. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर कर्तव्यों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ भी साझा किया गया था। तथापि, केवल घरेलू उद्योग ने ईआईक्यू प्रस्तुत की है, और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इसे दायर नहीं किया है।

xvi. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया

गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ प्राधिकारी के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

xvii. प्राधिकारी ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग से प्राप्त का.ज्ञा.संख्या सी-II-13012/8/2025-सीएचईएम टीईसीएच-सीपीसी दिनांक 24.06.2025 को नोट किया है, जो संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श को रिकॉर्ड करता है। उक्त का.ज्ञा. में प्रमुख अनुरोधों का सार है, जिसमें बढ़े हुए आयातों से क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा और कीमत अंतर के कारण के संबंध में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्म्युलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआई) का तर्क और निचले स्तर के कृषि-रसायन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता पर शुल्क लगाने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणियों की इस अंतिम निष्कर्ष के संगत शीर्षों में विधिवत जांच की गई है।

xviii. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 16 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी में बदलाव के कारण, 4 दिसंबर 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।

xix. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है, या आवश्यक सूचना नहीं दी है, या जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

xx. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xxi नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़े पर विचार किया है।

xxii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है। एनआईपी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

xxiii. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम निष्कर्ष का आधार बना है, 29 जनवरी, 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को 5 फरवरी, 2026 तक टिप्पणी दायर करने का समय दिया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम में प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी प्राप्त की गई है, जो प्रासंगिक और गैर-पुनरावृत्ति की पाई गई है।

xxiv. प्राधिकारी ने साक्ष्य द्वारा समर्थित सीमा तक और वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत मानी गई सीमा तक जांच प्रक्रिया के घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों की जांच की।

xxv. इस अंतिम निष्कर्ष में, "***" गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxvi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस$. = 84.00 रु. है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक एमाइन है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक आर्द्रताग्राही रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 32.4 डिग्री सेल्सियस है। यह पानी में घुलनशील है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, जिसका फ्लैश प्वाइंट –37 डिग्री सेल्सियस है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जिसकी सांद्रता का स्तर खरीदार की आवश्यकता के अनुसार वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में वाणिज्यिक रूप से बेचा जाता है।

5. उत्पाद का उपयोग ग्लाइफोसेट शाकनाशी फॉर्मूलेशन में किया जाता है, जो एट्रज़िन (एक अन्य शाकनाशी) का एक प्रमुख घटक है, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट के रूप में, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशकों, रबर रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के कार्बनिक संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में और पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ख.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया हैं।

ख.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

I. विचाराधीन उत्पाद मोनोइसोप्रोपाइलामाइन है, जिसे एमआईपीए के नाम से भी जाना जाता है।
ii. विचाराधीन उत्पाद को अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जलित रूप और जलीय रूप में बेचा जाता है।
iii. विचाराधीन उत्पाद को बल्क और पैक्ड, दोनों रूपों में आयात किया जाता है और पीसीएन पद्धति को उचित ठहराने के लिए दोनों की कीमत में पर्याप्त अंतर है।
iv. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है।
v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ख.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।

8. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के क्षेत्र को अधिसूचित किया। हितबद्ध पक्षकारों से इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए कहा गया था।

9. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी दायर नहीं की। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की शुरुआत की अधिसूचना में दिए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र की पुष्टि की और संगत सूचना देने के प्रयोजन से पीसीएन पद्धति निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की।

तालिका - 1

क्र.सं.	**पीसीएन**
1	एमआईपीए बल्क
2	एमआईपीए पैक्ड

10. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

11. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि निम्नलिखित रूप से करते हैं:

> *"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।*

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक एमाइन है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक आर्द्रताग्राही रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 32.4 डिग्री सेल्सियस है। यह पानी में घुलनशील है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, जिसका फ्लैश प्वाइंट –37 डिग्री सेल्सियस है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जिसकी सांद्रता का स्तर खरीदार की आवश्यकता के अनुसार वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में वाणिज्यिक रूप से बेचा जाता है।

5. उत्पाद का उपयोग ग्लाइफोसेट शाकनाशी फॉर्मूलेशन में किया जाता है, जो एट्रज़िन (एक अन्य शाकनाशी) का एक प्रमुख घटक है, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट के रूप में, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशकों, रबर रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के कार्बनिक संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में और पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

12. संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं। अत:, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं:

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

I. घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है और भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

II. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

III. घरेलू उद्योग संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन के आयातकों से संबद्ध नहीं है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *'(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

16. यह आवेदन-पत्र मैसर्स अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। जांच के दौरान, प्राधिकारी ने भारत में समान वस्तु के ज्ञात उत्पादकों को पत्र जारी करने सहित किसी अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जांच की अवधि के दौरान किसी अन्य उत्पादक द्वारा समान वस्तु के उत्पादन का संकेत देने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, आवेदक ने सूचित किया है कि मैसर्स बालाजी अमीन्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में उत्पादन शुरू किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद शुरू होने वाले उत्पादन से नियम 5 के तहत आधार के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वर्तमान जांच की जांचावधि के संदर्भ में जांच की जानी आवश्यक है।

17. इस प्रकार, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, आवेदक जांच की अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक था। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग न तो संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित है और न ही नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है।

18. अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार 'घरेलू उद्योग' है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत 'आधार' की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. <u>विविध अनुरोध</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

I. आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र और जांच शुरुआत की अधिसूचना में व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12 मई 2004 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन-

पत्र में अनिवार्य रूप से जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सूचना शामिल होनी चाहिए।

II. आवेदक ने क्षति की अवधि में हेरफेर किया और 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022-जून 2023 (15 महीने) के लिए सूचना प्रदान की और प्राधिकारी ने बिना कोई औचित्य बताए जांच शुरुआत अधिसूचना में जांच के उद्देश्य से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में 15 महीने की अवधि लेकर व्यापार सूचना का उल्लंघन किया है। जब तक प्राधिकारी इस मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा ली गई कानूनी स्थिति के आलोक में उठाई गई जांच शुरुआत आपत्तियों पर अपना तर्कपूर्ण निर्णय नहीं दे देते, तब तक प्रतिवादी लिखित अनुरोधों पर टिप्पणी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति अवधि उचित नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार ने मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी को आश्वासन दिया था कि वह संगत उदाहरण प्रदान करेगा जिसमें प्राधिकारी द्वारा इसी तरह की जांच की अवधियों पर आपत्ति जताई गई है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उद्धृत किए गए उदाहरणों के बिना ऐसे आश्वासन खाली रहते हैं।

ii. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन-पत्र अक्टूबर 2024 में दायर किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षति का विश्लेषण विकृत नहीं है और व्यापार सूचना संख्या 02/2004 और 2/2021 के साथ शिकायत बनी रहे, वर्तमान क्षति अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 तक होनी थी, यह सुनिश्चित करता है कि जांच की अवधि से पहले की क्षति की अवधि वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से मार्च 2023 है, जबकि पूरी क्षति अवधि में कोई अंतराल नहीं रहता है।

iii. आवेदक द्वारा मानी गई क्षति अवधि प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप है। प्राधिकारी द्वारा संतृप्त वसायुक्त एल्कोहॉल के संबंध में पाटनरोधी जांच, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के रंगीन लेपित/पूर्व-रंगित फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी जांच, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर पर पाटनरोधी जांच और पवन संचालित बिजली जनरेटर के लिए कास्टिंग पर प्रतिकारी शुल्क जांच में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

iv. प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि क्षति अवधि के चयन ने प्राधिकारी की जांच को विकृत किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. क्षति अवधि के चयन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया गया है। इस संबंध में, व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12 मई 2004 और व्यापार सूचना संख्या 02/2021 दिनांक 6 अप्रैल 2021 पर भरोसा किया गया है, जिसका संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

"2. व्यापार और उद्योग को सलाह दी जाती है कि पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र करते समय निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:"

"(iii) आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से जांच की प्रस्तावित अवधि (पीओआई) और पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना और आंकड़े होने चाहिए। कोई अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन जांच की अवधि और पिछले वित्तीय वर्षों के बीच अतिव्यापन हो सकता है। क्षति के निर्धारण के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए पिछले तीन वर्षों के आंकड़े का उपयोग किया जाएगा"

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार का प्राथमिक तर्क यह है कि वर्तमान मामले में पूर्ववर्ती वर्ष 15 महीने की अवधि और गैर-वित्तीय वर्ष है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, आवेदन-पत्र को जांच की अवधि जुलाई 2023 से जून 2024 और 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के साथ क्षति अवधि के रूप में दायर किया गया था। क्षति अवधि को 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 मानते हुए, यह सुनिश्चित किया गया कि जांच की अवधि से पहले की अवधि वित्तीय वर्षों को कवर करती है और दोनों अवधियों के बीच कोई अंतर नहीं था। यदि आवेदक ने 2020-21, 2021-22, 2022-23, अप्रैल 2023 से जून 2023 को पूर्ववर्ती वर्ष माना होता तो जांच की अवधि से ठीक पहले का वर्ष केवल 3 महीने का होता और इससे पूरे विश्लेषण में विकृति उत्पन्न होती। वहीं अगर अप्रैल 2023 से जून 2023 की अवधि को बाहर रखा गया होता, तो इससे क्षति अवधि में अंतर आ जाता। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया कि वह यह स्थापित करने के लिए पिछली परिपाटी देगा कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि असंगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने कई विगत जांचें बताई हैं जिनमें तत्काल पूर्व-वर्ष गैर वित्तीय वर्ष था। यह भी नोट किया जाता है कि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के रूप में पंद्रह महीने की अवधि पर विचार करने से जांच के परिणाम या किसी भी सेट के हितधारकों के वास्तविक हितों पर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए यह माना जाता है कि वर्तमान क्षति अवधि का चयन प्राधिकारी की लगातार स्थापित परिपाटी के अनुरूप है।

23. *मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाम भारत संघ* में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर हितधारक पक्षकारों के विश्वास के संबंध में, प्राधिकारी नोट करतें है कि मामला डायथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड के आयात में पाटनरोधी जांच से संबंधित था, जहां आयातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना को चुनौती दी थी। उस मामले में, प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों को उन्हें सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद हल किया जाएगा। सुनवाई और टिप्पणियों के अनुरोध के बाद, उन आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हुए दो मौखिक सुनवाई की हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध दायर करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

ङ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है:

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन.गण. को चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुबंध- I, नियमावली के नियम 7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. 11 दिसंबर 2016 को, चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, परंतु अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं, जिसके लिए चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं।

iii. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के दावे निर्विवाद हैं।

iv. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

v. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत, चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। जबकि उत्पाद का चीन जन.गण. में एक समर्पित कोड है, इसका यूरोपीय संघ या अमेरिका में एक समर्पित कोड नहीं है।

vi. सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले मूल्य पर आधारित होना चाहिए, उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

vii. भारत में देय कीमत के निर्धारण के लिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की कच्ची सामग्री की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें प्राधिकारी ने हाल ही में भारत में कीमत को पाटित की गई कीमत पर पाया है।

viii. आवेदक ने समायोजन के रूप में क्रेडिट लागत, मालसूची वहन लागत और गौण पैकेजिंग जैसे खर्चों पर विचार नहीं किया था। आवेदक का प्राधिकारी से अनुरोध है कि इन खर्चों तथा निर्यात कीमत के परिकलन में विचार करें।

ix. चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी न होने से पता चलता है कि निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत से कम हो सकती है।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

ङ 3.1 सामान्य मूल्य

26. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं।

> *"7.गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"*
>
> *"8. (1) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"*
>
> *(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।*

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ;(ग)ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ;(घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

27. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की अवधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरुआत पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर दें और यह सूचना दें कि कया उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

28. डब्ल्यूटीओ में चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

29. यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान यद्यपि 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है।

30. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद । के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8 में उल्लिखित इस अवधारणा का खंडन करने के लिए इस जांच में चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।

32. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों में तीसरे देश से निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रतिनिधिक देश में कीमत या निर्मित मूल्य, भारत सहित अन्य देशों में ऐसे देश से निर्यात की कीमत, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना चाहिए।

33. आवेदन-पत्र दायर करने के स्तर पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

34. पहली और दूसरी पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। अत:, प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति, यानी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य (सीएनवी) निर्मित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग की अनुकूलित उत्पादन लागत पर विचार किया है।

35. प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोप्रोपाइल अल्कोहल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल अमोनिया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/09/2023-डीजीटीआर दिनांक 14 अगस्त 2024 द्वारा निष्कर्ष निकाला था कि आइसो-प्रोपाइल अल्कोहल को चीन जन.गण. से पाटित की गई कीमतों पर भारत में निर्यात किया जा रहा था और इससे भारतीय उद्योग की कीमतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थीं। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि यदि उत्पादन लागत की गणना के उद्देश्य से भारत में कच्चे माल की कीमतों पर विचार किया जाता है, तो इसका तात्पर्य कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होगा जो स्वयं पाटित है। यह भी देखा गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावे का विरोध नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आईपीए को घरेलू स्तर पर खरीदा जाता है, और प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के निर्धारण के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

36. चीन जन.गण. के लिए सामान्य बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के अनुसार परिकलित भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। बल्क और पैक्ड सामानों के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ङ.3.2 निर्यात कीमत

37. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि ये आंकड़े सीआईएफ शर्तों पर है, अत: कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किया गया है। बल्क और पैक्टड

सामों के लिए निर्यात कीमत अलग से निर्धारित की गई है। भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत, जैसा कि निर्धारित है, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ङ.3.3 पाटन मार्जिन

38. विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका - 2
पाटन मार्जिन

विवरण	सामान्य मूल्य (सीएनवी) यूएसडॉ./ एमटी	निर्यात कीमत यूएसडॉ. / एमटी	पाटन मार्जिन		
			यूएसडॉ. / एमटी	%	रेंज
कोई उत्पादक	***	***	***	***	35-45

च. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के के आकलन बारे में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

40. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. 2020-21 को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि में घरेलू उद्योग को पाटन के अलावा अन्य कारणों से घाटा हुआ। कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण संबद्ध वस्तु के कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कमी हो गई थी, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ।

ii. 2020-21 में आयात अधिक थे क्योंकि घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था तथा बाजार में अनिश्चितता रही थी।

iii. 2021-22 में भारत में मांग में गिरावट आई, जिसका कारण (क) एमआईपीए-70% की मांग में कमी तथा (ख) 2020-21 में अत्यधिक आयात था। एमआईपीए-70% का उपयोग ग्लाइफोसेट (शाकनाशी) के निर्माण में होता है, जिसका उपयोग खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है।

iv. ग्लाइफोसेट की मांग मौसमी प्रकृति की है तथा 2021-22 में भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आई, जिससे ग्लाइफोसेट की मांग में गिरावट आई और परिणामस्वरूप एमआईपीए की मांग भी प्रभावित हुई।

v. पीयूसी के पाटन का प्रतिकूल प्रभाव पीओआई में शुरू हुआ, जब पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो गया, जिसके कारण घरेलू उद्योग को लाभ और कीमत दोनों मानकों पर घाटा उठाना पड़ा।

vi. 2021-22 से पीओआई तक, आयातों में समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

vii. संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में आते रहे हैं, और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पीओआई में यह अंतर और अधिक बढ़ गया है।

viii. पीओआई में आयात का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम था, और कीमत-कटौती महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है।

ix. पीओआई में पंहुच मूल्य में गिरावट ने घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत कम करने के लिए विवश किया, जिससे कीमत ह्रास हुआ।

x. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता विशेष रूप से समान वस्तु के उत्पादन के लिए समर्पित नहीं है, फिर भी घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी।

xi. पीओआई में उत्पादन और क्षमता उपयोग में तीव्र गिरावट आई है।

xii. पीओआई में घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2020-21 के स्तर से भी नीचे रही, जब घरेलू उद्योग को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की खरीद में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

xiii. पीओआई के दौरान दो महीनों तक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु का कोई उत्पादन नहीं किया गया।

xiv. यद्यपि 2021-22 तथा अप्रैल 2022 से जून 2023 तक मासिक आयात मात्रा लगभग 100 एमटी थी, तथापि पीओआई के अंत तक यह बढ़कर लगभग 500 एमटी हो गई, और आवेदक की घरेलू बिक्री [***] एमटी से घटकर [***] एमटी प्रति माह की रेंज में आ गई।

xv. पाटित आयातों का प्रभाव इतना प्रतिकूल रहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अनुबंध किए थे, उन्होंने अंततः अपनी आवश्यकताएँ कम कीमत वाले आयातों के माध्यम से पूरी कीं।

xvi. 2021-22 में, जब घरेलू उद्योग ने पूर्ण उत्पादन पुनः आरंभ किया, उसका बाजार हिस्सा बढ़ा। 2022-23 में बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई और उसके बाद पीओआई में, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, ***% की गिरावट दर्ज की गई।

xvii. पीओआई में, मांग में वृद्धि के बावजूद, मालसूची बढ़ गई और यह क्षति अवधि की तुलना में इसका सर्वाधिक स्तर पर बना रहा।

xviii. 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक थी तथा 2021-22 में कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण कम रही। इसके बाद 2022-23 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई।

xix. जैसे ही पीओआई में पाटनरोधी शुल्क समाप्त हुआ, घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ पीओआई और उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के बीच लगभग ₹ [***] प्रति एमटी घट गया, जो पीओआई में प्राप्त लाभ का तीन गुना है, तथा सकल घरेलू बिक्री पर लाभ 90% तक घट गया।

xx. पीओआई में प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में गिरावट आई।

xxi. किसी भी उत्पादक के लिए इस उत्पाद के उत्पादन में प्रवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। वर्तमान नियोजित पूंजी पर आय ब्याज दायित्वों को भी पूरा नहीं कर सकती है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

xxii. संबद्ध आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कोई अन्य कारण नहीं है।

xxiii. संबद्ध देश के अलावा, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से अधिक थे, परंतु ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध देश से आने वाले आयातों की तुलना में कहीं अधिक है। ये आयात मात्रा में निरंतर नहीं हैं और प्रत्येक माह घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं।

xxiv. संबद्ध आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से काफी अधिक और पर्याप्त है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

41. पाटनरोधी अनुबंध II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, '.....जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित....' सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति पर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

43. संबद्ध देश से पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21-03-2018 के माध्यम से लगाया गया था। एक निर्णायक समीक्षा 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई और अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/12/2022-डीजीटीआर दिनांक 20 दिसंबर 2022 के माध्यम से अधिसूचित किए गए। इसमें प्राधिकारी ने यह दर्ज किया कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तथापि, डीजीटीआर की सकारात्मक सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय ने पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी नहीं रखा।

44. चीन जन गण से पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 20 मार्च 2023 तक लागू थे। नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण इस अवधि तक पाटनरोधी शुल्क की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

45. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के चलते 2020-21 की अवधि को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 की अवधि में, पीयूसी के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को सैनिटाइज़र के उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया था। यह देखा गया कि कच्ची सामग्री की अधिक कीमत और अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग को इस अवधि में कुछ समय के लिए उत्पादन निलंबित करना पड़ा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीयूसी पर पूर्व में की गई निर्णायक समीक्षा जांच में भी 2020-21 की इस व्यवधान की जाँच की गई थी और डीजीटीआर ने निम्नलिखित रूप से जाँच परिणाम प्रस्तुत किए थे:

"43. 2020-21 में निष्पादन के संबंध में, आवेदक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कच्ची सामग्री की कमी के साथ-साथ कच्ची सामग्री की कीमतों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, इस अवधि में संबद्ध देश और गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। कच्ची सामग्री की कमी के कारण आवेदक को अपना उत्पादन निलंबित करना पड़ा और परिणामस्वरूप उसे घाटा उठाना पड़ा।"

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 2020-21 की अवधि को क्षति विश्लेषण में शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा।

च.3.1 <u>मांग/स्पष्ट खपत का आकलन</u>

47. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका – 3

क्र सं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)**	**पीओआई**
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	129	175	59
3	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,956	592	1,195	4,268

क्र सं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)**	**पीओआई**
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	30	61	218
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,432	195	274	179
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	14	19	13
7	**मांग/खपत**	**एमटी**	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	79	94	94

48. उपर्युक्त जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में उत्पाद की मांग/खपत में गिरावट आई। इसके पश्चात्, बाद की अवधियों में मांग में वृद्धि दर्ज की गई।

49. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2021-22 में मांग में आई गिरावट का कारण एमआईपीए-70% की आवश्यकता में कमी थी, जिसका उपयोग ग्लाइफोसेट के उत्पादन में किया जाता है। ग्लाइफोसेट एक मौसमी उत्पाद है, जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2021-22 के दौरान देश के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ग्लाइफोसेट की मांग में कमी आई, जिससे परिणामस्वरूप एमआईपीए की मांग भी प्रभावित हुई। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि 2020-21 में हुए अत्यधिक आयातों ने बाद की अवधि में मांग की प्रवृति को भी प्रभावित किया।

च.3.2 <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

50. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4

क्र सं	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)**	**पीओ आई**
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,956	592	1,195	4,268
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	30	61	218
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,432	195	274	179
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	14	19	13
	निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
5	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	24	46	370
7	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	39	65	233
9	कुल आयात	%	58	75	81	96
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	130	141	166

51. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात 2020-21 की तुलना में 2021-22 में तेजी से घट गए थे और उसके बाद अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में इनमें वृद्धि हुई। मार्च 2023 में

पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साथ, पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई।

52. भारतीय उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात 2021-22 की तुलना में अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में 22 सूचकांक अंकों तक बढ़े। जांच अवधि में भारतीय उत्पादन के सापेक्ष आयात में और अधिक वृद्धि हुई और यह 324 सूचकांक अंकों तक पहुँच गई।

53. भारतीय मांग के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात जांच अवधि में 165 सूचकांक अंकों तक बढ़े। जबकि जांच अवधि के दौरान मांग लगभग 2021-22 के समान स्तर पर बनी रही, संबद्ध देश से आयात असमानुपातिक रूप से बढ़े, जिससे उनकी हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, कुल आयातों में संबद्ध देश से आयात की हिस्सेदारी भी 2021-22 से जांच अवधि तक निरंतर बढ़ती रही।

च.3.3 <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

54. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में यह विश्लेषण आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत-कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में ह्रास करना या ऐसी कीमत-वृद्धि को रोकने का रहा है, जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में बढ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की जाँच कीमत-कटौती, कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) तथा क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के पंहुच मूल्य से की गई है।

क. कीमत-कटौती

55. कीमत-कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात के पंहुच मूल्य से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रभाव निम्नलिखित रूप में पाए गए हैं:

तालिका – 5

क्र सं	विवरण	यूओएम	बल्क	पैक्ड	पीओआई
1	आयात मात्रा	एमटी	751	3,517	4,268
2	निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***
3	पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,44,277	1,59,916	1,57,164
4	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज %	15-25	25-35	25-35

56. प्राधिकारी ने सर्वप्रथम दोनों पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत की तुलना की है और उसके पश्चात् भारित औसत तुलना की गई है। भारित औसत बिक्री कीमत की गणना प्रत्येक पीसीएन की बिक्री कीमत तथा प्रत्येक पीसीएन के लिए आयात से संबंधित भार को ध्यान में रखते हुए की गई है।

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं तथा कीमत-कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि पूर्ववर्ती वर्षों में भी कीमत-कटौती सकारात्मक थी, किंतु उस समय लागू पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को नियंत्रित किया गया था।

ख. कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

58. यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की गई है:

तालिका – 6

क्र सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	114	107
3	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
5	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	101	102
6	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
7	पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,33,960	1,65,882	1,68,758	1,57,164
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	124	126	117
9	प्रवृति	₹/एमटी	-	31,922	2,877	-11,594
10	एडीडी सहित पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,80,597	2,12,612	2,19,964	1,57,164

59. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और लागत की तुलना औसत आधार पर की है (पीयूसी को समग्र रूप में मानते हुए, न कि प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से)। भारित औसत बिक्री कीमत और बिक्री लागत की गणना के लिए, प्रत्येक पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री से संबंधित भार को ध्यान में रखा गया है।

60. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. 2020-21 में घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा था। 2021-22 में, जहाँ 2020-21 की तुलना में बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी घट गई, वहीं बिक्री कीमत में केवल ₹*** प्रति एमटी की मामूली गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घाटे से उबर गया और इस अवधि में लाभ अर्जित किया।

ख. अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में, जहाँ 2021-22 की तुलना में बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी, वहीं बिक्री कीमत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई और यह ₹*** प्रति एमटी तक बढ़ गई।

ग. पीओआई में, जब पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो गया, बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी तक घट गई।

घ. संबद्ध देश से आयात का पंहुच मूल्य सम्पूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा। तथापि, मार्च 2023 तक पाटनरोधी शुल्क लागू था, जिसने पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को नियंत्रित किया।

ङ. पीओआई में, यद्यपि बिक्री लागत में कोई गिरावट नहीं आई, तथापि संबद्ध देश से आयात का पंहुच मूल्य ₹*** प्रति एमटी घट गया।

61. अतः यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि पीओआई में संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

च.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

62. नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। संबद्ध उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका – 7

क्र सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	कुल उत्पादन (पीयूसी और गैरपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	126	124	81
5	क्षमता उपयोग (संयंत्र)	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	126	124	81
7	उत्पादन ~ पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	125	133	59
9	घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	129	140	59

64. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है।

ख. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीयूसी के अतिरिक्त, उसी स्थान पर डाइ-आइसोप्रोपाइल अमीन, 2-एथाइल हेक्साइलअमीन तथा 2-एथॉक्सी एथाइलअमीन का भी उत्पादन किया जाता है। घरेलू उद्योग के अनुसार, इन उत्पादों की संयुक्त मांग प्रति वर्ष *** से *** एमटी के बीच है।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता केवल पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित नहीं है, तथापि यह तर्क दिया गया है कि उपलब्ध क्षमता पीयूसी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी का उत्पादन अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़ता रहा और उसके बाद पीओआई में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई। पीओआई में घरेलू उद्योग का पीयूसी उत्पादन 2021-22 की तुलना में लगभग 53% तथा ठीक पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में लगभग 56% घट गया। परिणामस्वरूप, पीयूसी के संदर्भ में क्षमता उपयोग में भी पीओआई में गिरावट दर्ज की गई।

ङ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़ी और उसके बाद पीओआई में घट गई। पीओआई में घरेलू बिक्री 2021-22 की तुलना में 54% तथा ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 57% कम हो गई।

च. इस अवधि के दौरान पीयूसी की मांग में वृद्धि देखी गई। यद्यपि मांग बढ़ी, फिर भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई।

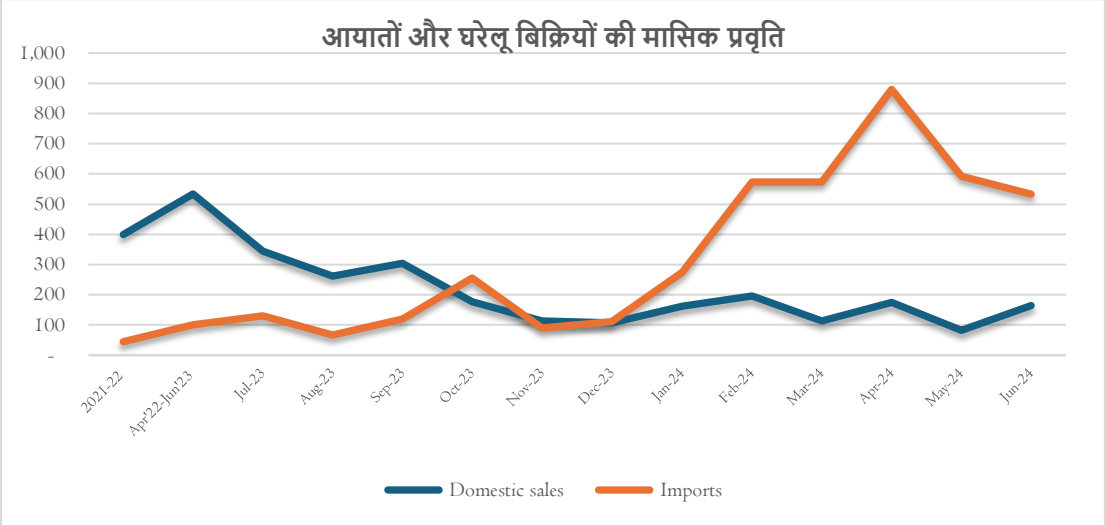

ख. बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और भारत में उत्पाद के आयातों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका – 8

क्र सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	164	186	63
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	39	65	233
5	अन्य देश	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	17	20	13

66. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. 2020-21 में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम था क्योंकि कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था। इस अवधि के दौरान संबद्ध देश तथा अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी अधिक थी।

ख. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में इसमें गिरावट आई तथा पीओआई में इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

ग. संबद्ध देश से पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में घटी, अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में बढ़ी और उसके बाद पीओआई में इसमें तेज़ वृद्धि हुई।

घ. अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 के बाद घट गई है।

ङ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग के साथ अनुबंध किए थे, उन्होंने भी अंततः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संबद्ध देश से आयातों के माध्यम से की, जबकि उन्होंने घरेलू उद्योग को पक्के क्रय आदेश दे रखे थे।

ग. मालसूची

67. मालसूची से संबंधित जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है।

तालिका – 9

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	179	205	188
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	115	104	126
5	**औसत मालसूची**	**%**	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	138	141	148

68. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि होती रही है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका – 10

क्र सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	230	777	170
3	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	244	805	178
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	7,627	24,055	4,720
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	245	694	217

70. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ था। यह तर्क दिया गया है कि यह घाटा कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण हुआ था।

ख. वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया। तथापि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पूर्व जांच में दर्ज किया गया था, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का स्तर कम था।

ग. अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई। तथापि, पीओआई में लाभप्रदता पुनः तीव्र रूप से घट गई।

घ. नकद लाभ तथा ब्याज और कर पूर्व लाभ अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़े, किंतु पीओआई में इनमें गिरावट आई।

ङ. नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) ने भी ब्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीआईटी) के रुझानों का अनुसरण किया है। पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई काफी कम रहा।

ङ. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी से संबंधित विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका – 11

क्र सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	98	91	79
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	128	147	74
5	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृति	संख्या	100	125	133	58
7	मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	80	38

72. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें दी गई मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है।

ख. प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में बढ़ी, किंतु पीओआई में इनमें गिरावट दर्ज की गई।

च. वृद्धि

73. निम्नलिखित तालिका में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि से संबंधित मानदंड दर्शाए गए हैं।

तालिका – 12

क्र सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	क्षमता	%	0	0	0
2	उत्पादन ~ पीयूसी	%	25	7	-56
3	घरेलू बिक्रियाँ	%	29	8	-57
4	लाभ/(हानि)	%	-230	421	-90
5	पीबीआईटी	%	-244	390	-89
6	नकद लाभ	%	-7,627	218	-81
7	आरओसीई	%	-245	309	-80

74. यह देखा गया है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक सभी मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, किंतु पीओआई में मात्रा और कीमत दोनों मानदंडों में भारी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। पीओआई में घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा घरेलू बिक्री घट गई है। कीमत से संबंधित मानदंड, जिनमें लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा नियोजित पूंजी पर आय शामिल हैं, में भी पीओआई के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि उत्पाद के लिए वर्तमान आरओसीई ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमताएँ, अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु आवश्यक क्षमताओं को बाहर रखने के बाद भी, देश में इस उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त हैं।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य सम्पूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम रहा है। यद्यपि 2022-23 तक पीयूसी पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के बावजूद पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी और वांछित कीमतें बनाए रखने में सक्षम था, किंतु पीओआई में शुल्क समाप्त होने के बाद घरेलू उद्योग को ऊपर जाँच किए गए सभी कीमत मानदंडों में घाटा उठाना पड़ा है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने भारत में घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ. पाटन की मात्रा

77. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि किस सीमा तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। इस जांच से यह सिद्ध हुआ है कि पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ. गैर-आरोपण और कारणात्मक संबंध

78. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ऐसे ज्ञात कारक की जाँच की जाए, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि उन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से अधिक आयात मौजूद हैं। औसत आधार पर यह देखा गया है कि यूएसए से आयात की कीमत चीन जन. गण. से आयात के कीमत से कम है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आयात आँकड़ों की जाँच की है और यह पाया है कि जहाँ यूएसए से आयात केवल बल्क रूप में हैं, वहीं चीन जन. गण. से आयात बल्क और पैक्ड दोनों रूपों में हैं। प्राधिकारी ने बल्क और पैक्ड को पृथक पीसीएन के रूप में माना है। चीन जन. गण.और यूएसए से बल्क रूप में आयात की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि यूएसए से आयात की कीमत कहीं अधिक है।

80. यह भी देखा गया है कि यूएसए से आयात मात्रा के संदर्भ में सतत नहीं हैं और क्षति अवधि के दौरान इनमें तीव्र गिरावट आई है। अतः ये आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृति में परिवर्तन

81. भारत में 2021-22 में मांग में गिरावट आई थी। तथापि, इसके बाद मांग में वृद्धि हुई और पीओआई तक यह बढ़ती रही। इस अवधि में संबद्ध देश से आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। अतः मांग में गिरावट को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

ग. व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

82. पीयूसी की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकारी के संज्ञान में कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं लाई गई है।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीयूसी के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. उत्पादकता

84. पीओआई में, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में तथा विशेष रूप से वर्ष 2020-21 की तुलना में, घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में गिरावट आई है, जो संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई में घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का अत्यंत अल्प हिस्सा निर्यात किया है। तथापि, उपर्युक्त रूप से जाँच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

86. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। अतः अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

87. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी निम्नलिखित तथ्यों को नोट करते हैं:

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं तथा पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

ख. जहाँ एक ओर बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पंहुच मूल्य में कमी आई है।

ग. पाटित आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण रूप से कटौती की है।

घ. कम कीमत वाले आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है और उन्होंने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में आई गिरावट को देश में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि का परिणाम माना गया है।

ङ. बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रा में काफी अधिक हानि हुई है। देश में उत्पाद की मांग बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कमी आई है।

च. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में आई कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

छ. आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के पास स्टॉक में वृद्धि हुई है।

ज. यह नोट किया गया है कि 2021-22 से पीओआई तक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

88. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली के अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। पीयूसी का एनआईपी, पीओआई के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आकडों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से आयात के पंहुच मूल्य की तुलना एनआईपी के साथ की गई है। चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग नहीं मिलने के कारण, पंहुच कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

89. एनआईपी निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। उपयोगिताओं के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को माना गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-अनुवर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित तथा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, एनआईपी निर्धारित करने के लिए पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।

90. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पंहुच कीमत और एनआईपी के आधार पर, पीओआई के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका – 13
क्षति मार्जिन

विवरण	**एनआईपी अम डा./एमटी**	**पंहुच मूल्य अम डा./एमटी**	**क्षति मार्जिन**		
			अम डा./एमटी	**%**	**रेंज**
कोई उत्पादक	***	***	***	***	10-20

झ. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

91. अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

92. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का प्रमुख रूप से उपयोग ग्लाइफोसेट और एटेनोलॉल के निर्माण में किया जाता है। इन उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव क्रमशः 1.09% और 0.08% है।

ख. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता भारत की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। भारतीय उद्योग इस उत्पाद में पूर्णतः आत्मनिर्भर है और प्रयोक्ताओं को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग. प्राधिकारी ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से आयातित मोनोआइसोप्रोपाइलएमीन पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच के संबंध में दिनांक 20 दिसंबर 2022 के अंतिम निष्कर्ष में अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क के प्रभाव की जाँच की थी, जो एट्राजीन के लिए लगभग 1.5% से 2%, ग्लाइफोसेट के लिए 0.09% और एटेनोलॉल के लिए 0.08% पाया गया था।

घ. उत्पाद की कीमत पूर्व में अधिक थी। पीओआई के दौरान आयात कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी पूर्व की कीमतें अधिक बनी रहती हैं। चूँकि पहले उच्च पंहुच मूल्य का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ङ. पीयूसी का उपयोग एट्राजीन के निर्माण में किया जाता है, जो पहले से ही उस पर लगाए गए सब्सिडीरोधी शुल्क द्वारा संरक्षित है।

च. संपूर्ण घरेलू आवश्यकता स्वदेशी स्रोतों से पूरी की जाती है। यदि घरेलू उद्योग भारत की मांग के अनुरूप पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करता है, तो इससे घरेलू रूप से उत्पादित आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की मांग में कम से कम *** मीट्रिक टन की वृद्धि होगी, जो भारत में आईपीए के उत्पादन का लगभग 3% होगा। अतः एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अपस्ट्रीम उद्योग को भी लाभ होगा।

छ. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का आयात मूल्य ₹120 करोड़ से अधिक रहा है। केवल पीओआई में ही पीयूसी का आयात मूल्य ₹63 करोड़ रहा, जिसमें से ₹60 करोड़ का आयात संबद्ध देश से किया गया।

ज. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी स्वयं संबद्ध वस्तु का प्रयोक्ता है, तथा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में उसकी ओर से कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है,

यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है।

झ. संबद्ध देश को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपूर्ति के अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए किसी प्रकार का एकाधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

93. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को लगाना जन हित के विरुद्ध है। यह निर्धारण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना तथा भागीदार हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विचार किए जाने पर आधारित है।

94. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी संबंधित पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिससे वर्तमान समीक्षा जाँच में पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव तथा शुल्क के लागू रहने से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन में शीघ्रता या देरी करने वाले कारकों पर जानकारी मांगी।

95. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना तथा भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना है, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पीयूसी तथा भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोग से निर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, इन पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन मानकों में हो रही गिरावट पर रोक लगेगी तथा पीयूसी के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

96. प्राधिकारी द्वारा इस जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) भेजी गई थी। केवल घरेलू उद्योग ने ही ईआईक्यू का उत्तर दिया। किसी अन्य भागीदार पक्ष ने लागू शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने हेतु कोई दावा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अन्य हितधारकों के कोई अनुरोध नहीं करने और साक्ष्य के अभाव में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता और अधिक सुदृढ़ हो जाती है।

97. प्राधिकारी ने एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर संभावित प्रभाव की भी जाँच की है। ग्लाइफोसेट (41%) और एट्राजीन (50%) टेक्निकल के प्रति यूनिट उत्पादन में पीयूसी की खपत क्रमशः 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम है। दोनों ही मामलों में कीमत प्रभाव 2% से कम है।

98. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन वस्तु की किसी प्रकार की कमी उत्पन्न नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी

स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे देश में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, अन्य कई देश भी भारतीय बाजार में पीयूसी की आपूर्ति कर रहे हैं तथा एक अन्य उत्पादक, मैसर्स बालाजी एमाइन्स, ने पीओआई के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) उत्तरदाता ने "पिछले वर्ष" को गैर-वित्तीय वर्ष के रूप में मानने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा उठाया था, और प्राधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति का निर्णायक रूप से निर्णय लेने के बाद ही मुद्दों पर अनुरोध देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखा था। तथापि, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी किया है और एक पैराग्राफ में औचित्य प्रदान किए बिना अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को खारिज कर दिया है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. क्रैपैक बनाम भारत संघ मामले में कहा है कि अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयां प्राकृतिक न्याय की नियमावली के अधीन हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एससीसी 248], में यह माना गया है कि अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण निर्णय देने में निर्दिष्ट प्राधिकारी की विफलता ने प्रभावी रूप से जांच में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया है।

ग) तत्काल पिछला वर्ष वित्तीय वर्ष नहीं है। जांच की अवधि की प्राधिकारी की स्वीकृति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां व्यापार सूचना में प्रदान किया गया वाक्यांश "अतिव्यापन हो सकता है" पूरी तरह से अनावश्यक हो गया है।

घ) यदि कुछ देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसे शुल्क अन्य सभी देशों पर भी समान पाटन और क्षति का कारण बनने के लिए लागू होने चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनदेखी इस आवश्यक सिद्धांत का उल्लंघन करती है और जांच की वैधता को कमजोर करती है।

ङ) जांच के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात को शामिल करने में प्राधिकारी की विफलता, या उनके क्षतिकारक प्रभावों की जांच और पृथक्करण के परिणामस्वरूप, क्षति का एक विकृत और अधूरा मूल्यांकन हुआ है, जो बाजार की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है।

च) अमेरिका से क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अमेरिका को शामिल नहीं करना क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क विश्लेषण को कम करता है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

100. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षतिरहित कीमत को काफी कम कर दिया है। घरेलू उद्योग को कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणियां देने में पूरी तरह से अक्षम है।

ख) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि [मार्च-24 और मई-24] के महीनों में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन लगभग नगण्य उत्पादन के साथ [दिसंबर-23] में नहीं हुआ था। घरेलू उद्योग के उत्पादन का रुकना घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाता है।

ग) 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कम अवधि से घरेलू उद्योग को पाटित आयात से हुई काफी क्षति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

घ) यहां तक कि अगर प्रयोक्ता चीनी बाजार से सोर्सिंग जारी रखना पसंद करते हैं, तो पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। पाटनरोधी उपायों का प्राथमिक उद्देश्य बाजार में एक समान बाजार को स्थापित करना है, ताकि उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।

ङ) जांच की अवधि की आयात कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़े जाने पर भी, पिछले समय में कीमत अधिक है। जब संबद्ध देश से इतनी ऊंची पहुंच कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पाटनरोधी शुल्क लगाने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

च) शुल्क का एक निश्चित प्रारूप उपयुक्त है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उत्पाद की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। शुल्क के निश्चित रूप के अलावा किसी अन्य प्रकार का शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को हल नहीं करेगा।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियों पर, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। घटक-वार गैर-हानिकारक मूल्य, प्राधिकरण की स्थापित प्रथा के अनुसार, घरेलू उद्योग को प्रकट किया।

102. प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि और साथ ही क्षति की अवधि दोनों को स्पष्ट रूप से जांच शुरुआत अधिसूचना में ही निर्दिष्ट किया गया था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच के सभी पहलुओं पर, जिसमें विचार की गई अवधि की उपयुक्तता भी शामिल है, अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि जांच के दौरान दो मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। इसलिए, यह अनुरोध कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, गलत है। इसके अलावा, मौखिक सुनवाई के दौरान, हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया था कि वह प्रदर्शित करेगा कि जांच की अवधि का चयन कैसे

अनुचित था। तथापि, किसी भी लिखित अनुरोध में कोई अनुरोध यह सिद्ध करते हुए दायर नहीं किया गया था कि जाँच की चयनित अवधि अनुचित या पूर्वाग्रहपूर्ण कैसे थी। यहां तक कि अपनी टिप्पणियों में भी, हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि चयनित क्षति की अवधि अनुचित कैसे थी।

103. जहां तक यह तर्क दिया गया है कि क्षति की अवधि के चयन के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण में वर्तमान क्षति की अवधि पर विचार करने के लिए एक विस्तृत औचित्य शामिल है। हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि चयनित क्षति की अवधि परिपाटी से कैसे अनुचित या असंगत है। वर्तमान जांच में अपनाया गई क्षति की अवधि प्राधिकारी की सुसंगत और स्थापित परिपाटी के अनुरूप है।

104. इस अनुरोध के संबंध में कि अमेरिका से आयात के क्षतिकारक प्रभावों को अलग करने की आवश्यकता थी और इसके परिणामस्वरूप एक विकृत क्षति विश्लेषण हुआ है, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे की प्रकटन विवरण में निहित कारणात्मक संपर्क विश्लेषण में पहले ही विस्तार से जांच की जा चुकी है। यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात न तो निरंतर है और न ही मात्रा में अधिक है और क्षति की अवधि में इसमें भारी गिरावट देखी गई है। आयात कीमतों की पीसीएन-वार तुलना से पता चलता है कि अमेरिका से आयात की कीमत चीन से आयात कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। चीन से आयात की कीमत काफी कम है और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य स्रोतों से आयात की कीमतों को भी कम कर रही है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया गया है, गलत है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि अमेरिका से आयात को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं माना जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपने आवेदन-पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संबद्ध देश के रूप में शामिल नहीं किया है या इन देशों से क्षति का दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को उन देशों के क्षेत्र से 3% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले देश को बाहर करने से नहीं रोकते हैं, जहां परिस्थितियां ऐसी आवश्यक हों।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

105. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुराधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज किया गया है, और पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग के कारणात्मक संपर्क के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते है:

क) विचाराधीन उत्पाद 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।

ख) उत्पाद को दो अलग-अलग प्रकार के पैकेजिंग में बेचा जाता है - थोक और पैक किया हुआ। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के उचित निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद के दो प्रकारों के बीच उचित तुलना के लिए अलग-अलग पीसीएन पर विचार किया गया है।

ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, उप-शीर्षक 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यात किए गए संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक-दूसरे की समान हैं।

ङ) जांच की अवधि में पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हितस्सा आवेदक का है।

च) आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

छ) आवेदन-पत्र में पाटनरोधी जांच शुरू करने के उद्देश्य से सभी संगत पाटन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(2) के संदर्भ में आवश्यक साक्ष्य शामिल थे ताकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।

ज) चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में काम करने वाला माना गया है क्योंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I पैरा 8 में उल्लिखित इस अनुमान का खंडन करने के लिए इस जांच में भाग नहीं लिया है।

झ) सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन की अनुकूलित लागत के आधार पर उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के साथ की गई है।

ञ) चीन जन.गण.से किसी भी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंएडएस आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि ये आंकड़े सीआईएफ शर्तों पर है, अत: कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं।

ट) निर्यात कीमत से सामान्य मूल्य की तुलना करने पर यह पता चलता है कि देश में उत्पाद का काफी पाटन हो रहा है।

ठ) यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन 35-45% की रेंज में है।

ड) जांच की अवधि में आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।

ढ) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष की तुलना में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण दोनों हुए हैं।

ण) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई।

त) घरेलू उद्योग के पास मालसूची में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

थ) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई है।

द) संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में क्षति की अवधि में गिरावट आई है

ध) घरेलू उद्योग ने कई आर्थिक मापदंडों में काफी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

न) जांच में पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक नहीं दिखा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो।

प) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम है। क्षति का मार्जिन 10-20% की रेंज में है।

फ) देश में मांग और आपूर्ति का अंतराल है। घरेलू उद्योग की क्षमता देश में मांग से अधिक है।

ब) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि दूसरे उत्पादक ने घरेलू जैसे उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है।

भ) प्राधिकारी ने निचले स्तर के उत्पादों पर एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव की भी जांच की है। ग्लाइफोसेट 41% और एट्राजिन (50%) तकनीकी के प्रति यूनिट उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्रमशः 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम है। दोनों मामलों में कीमत प्रभाव 2% से कम है।

म) अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और सिफारिश किए गए उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानतें है और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

107. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तद्नुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्याति संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	एचएस कोड#	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190, 29211990 और 29211920	मोनोइसोप्रोपाइलामाइन	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई उत्पादक	290	एमटी	*यूएस डॉ.*
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण	कोई उत्पादक	290	एमटी	*यूएस डॉ.*

 # - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ड. आगे की प्रक्रिया

108. इन अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी